भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 734

07 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

संपूर्ण देश में कार्यान्वित राशन कार्ड

734. श्री मलूक नागर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में कार्यान्वित राशन कार्ड लागू करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के प्रचालन के तरीके और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा क्या भूमिका निभाए जाने का विचार है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वितरित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के खाद्यान्नों की राष्ट्रव्यापी निर्बाध पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करती है। इस प्रौद्योगिकी संचालित सुधार के माध्यम से, लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणन द्वारा अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में किसी भी स्थान पर अपनी पसंद की उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपनी पात्रता के खाद्यान्न का उठान कर सकते हैं। उनके घर पर निवास करने वाला उनका परिवार भी उसी राशन कार्ड पर उनके गृह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भी पीएमजीकेएवाई राशन के भाग का उठान कर सकता है। अब तक, यह सुधार लगभग 100% पीएमजीकेएवाई आबादी (लगभग 80 करोड़) को कवर करते हुए, देशभर के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।

.....2/-

ओएनओआरसी के तहत राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों (प्रवासी कामगार/श्रमिक) को अपने राशन कार्ड को अपग्रेड करने अथवा नया राशन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी अपने मौजूदा समान राशन कार्ड/उसी राशन कार्ड की प्रति/अथवा किसी ई-पीओएस समर्थित उचित दर दुकान के डीलर को केवल अपने राशन कार्ड का नंबर अथवा आधार संख्या की जानकारी प्रदान करके अपने राशन कार्ड की पात्रता के अनुसार अपने आंशिक/पूर्ण खाद्यान्न का उठान कर सकते हैं। इसलिए, एक अलग 'पैन इंडिया राशन कार्ड' को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

(ग): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित किया जाता है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के नामित डिपुओं तक ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के नामित डिपुओं तक ढुलाई करना केन्द्र सरकार का दायित्व है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों का आबंटन, पात्र लाभार्थियों/परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का समय पर वितरण तथा उचित दर दुकानों (एफपीएस) आदि की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण और निगरानी करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वितरण की नियमित निगरानी की जाती है और समय-समय पर उचित परामर्श जारी किए जाते हैं।

****